☎ 2286710, 2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

पत्रांकः–4091 /01/29/HFA-12/2017–18 .

दिनांकः–23 जनवरी, 2018

संशोधन

समस्त परियोजना अधिकारी/सहा0परि0अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

विषयः–**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 एवं डी0पी0आर0/ पी0एम0सी0 कन्सलटेन्टों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सूडा के पत्रांक–3900/01/29/एचएफए–12/2017–18 दिनांक 09.01.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लिखित किया गया था कि यदि डीपीआर स्वीकृति पश्चात् पुनः सत्यापन का कार्य कराया जाता है तो कन्सलटेन्ट के साथ संयुक्त रूप से टीम गठित कर कराया जाना उचित होगा। यदि संयुक्त सत्यापन के उपरान्त भी पात्र लाभार्थियों की संख्या में कमी आती है तो अपात्रों के स्थान पर नये पात्र लाभार्थियों का चयन कर लिया जाना आवश्यक है, जिससे डीपीआर के लाभार्थियों की संख्या में कोई परिवर्तन न हो। इसके अतिरिक्त यदि कोई पात्र लाभार्थी छूट गये हो तो उसको भी सम्मिलित किया जाना योजना हित में आवश्यक है।

संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में परियोजना अधिकारी द्वारा उक्त का यह अर्थ समझा जा रहा है कि स्वीकृत डी0पी0आर0 में यदि कोई अपात्र लाभार्थी है, तो उसके स्थान पर नये पात्र लाभार्थी का चयन कर जनपद स्तर पर ही डीपीआर में सम्मिलित किया जाना है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि स्वीकृत डीपीआर के अपात्र लाभार्थियों के स्थान पर चयन किये गये नये पात्र लाभार्थियों को सम्बन्धित नगर निकाय के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी तथा जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से अनुमोदित सूची सूडा को प्रेषित की जायें। तत्पश्चात् सूडा द्वारा प्राप्त लाभार्थियों का मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एस0एल0एस0एम0सी0 से अनुमोदनोपरान्त भारत सरकार की सी0एस0एम0सी0 से स्वीकृत कराया जायेगा। सी0एस0एम0सी0 की स्वीकृति पश्चात् ही लाभार्थियों को डी0पी0आर0 में सम्मिलित कर आवास निर्माण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नये पात्र लाभार्थियों के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त एचएफएपीओए/डीपीआर–पीएमसी कन्सलटेन्ट्स।
3. वेब मास्टर/सहा0 परि0 अधिकारी, सूडा।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

HFA/39